Canteen

प्रेस विज्ञप्ति/नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018–2019 के लिए कलेक्ट्रेट बागपत परिसर स्थित कैन्टीन (चाय, मीठा, नमकीन आदि जलपान) की एक दुकान की नीलामी दिनांक 23.04.2018 को प्रातः 12–00बजे से कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में की जायेगी। नीलामी में भाग लेने हेतु अकंन 15,000–00रूपये का बैंक ड्राफ्ट (जिलाधिकारी बागपत के पक्ष में) बोली से पूर्व धरोहर धनराशि के रूप में जमा करने पर एवं बोली दाता की पहचान से सम्बन्धित अभिलेख आधार कार्ड/चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी। नीलाम बोलीदाता को नियत न्यूनतम सरकारी बोली से नीलामी बोली बोलनी है। उच्चतम बोलीदाता के नाम नीलामी की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। नीलाम गृहिता को शेष धनराशि नीलामी के पश्चात उसी दिन जमा करानी होगी। नीलाम समिति को उचित बोली न आने पर नीलामी स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा। उच्चतम बोलीदाता द्वारा समय से धनराशि जमा न करने की दशा में नीलामी समिति को अधिकार होगा कि उच्चतम बोलीदाता को 02 किस्तों में धनराशि जमा करायें या उच्चतम बोलीदाता से कम बोलीदाता के नाम नीलामी स्वीकृति हेतु संस्तुति कर दी जायें एवं धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। किसी भी जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में नजारत अनुभाग कलेक्ट्रेट बागपत में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है। उक्त नीलाम सूचना को जनपद बागपत की वेबसाईट Bagpat.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
बागपत।/
(अध्यक्ष कमेटी)

कार्यालय जिलाधिकारी, बागपत।

पत्रांक 2287 /नाजिर सदर/कैन्टीन दिनांक 19-04-2018

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार–प्रसार कराने हेतु प्रेषित ।

1– जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

2– उपजिलाधिकारी/तहसीलदार बागपत/बडौत/खेकडा।

3– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत बागपत/बडौत/खेकडा/अमीनगर सराय/टटीरी/दोघट/टीकरी/छपरौली।

4– जिला सूचना अधिकारी बागपत को इस निर्देश के साथ की दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

5– नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के लियें।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
बागपत।/
(अध्यक्ष कमेटी)